भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 4

(शुक्रवार, 2 फरवरी, 2018/13 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

विमुद्रीकरण के पश्चात् शेल कम्पनियां

***4. श्री पिनाकी मिश्राः**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा चिह्नित की गई विमुद्रीकरण के पश्चात् अस्तित्व में आई शेल कम्पनियों की संख्या कितनी है;
(ख) ऐसी शेल कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनमें अयोग्य करार दिए गए निदेशक हैं; और
(ग) ऐसे अयोग्य निदेशकों की संख्या कितनी है जो राजनीतिज्ञ और सरकारी नौकरशाह हैं तथा
ऐसे राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

लोक सभा में दिनांक 02.02.2018 को उत्तर देने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 4 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): कंपनी अधिनियम, 2013 में फर्जी कंपनी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। तथापि, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) द्वारा परिभाषित फर्जी कंपनी का आशय ऐसी कंपनी से है जो किसी अर्थव्यवस्था में औपचारिक रूप से पंजीकृत या अन्यथा कानूनी रूप से संगठित कंपनी है परंतु जो अपनी पास-थ्रू क्षमता के अलावा उस अर्थव्यवस्था में कोई कार्यकलाप नहीं चलाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन धारा 248(1)(ग) में ऐसी कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रावधान है जो तत्काल पूर्ववर्ती 02 (दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय नहीं चला रही या परिचालन में नहीं है और उस कंपनी ने धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए उक्त अवधि में कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर 31.03.2017 तक इस श्रेणी के अंतर्गत 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.12.2017 तक 2,26,166 कंपनियों के नाम कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिए गए।

(ख): इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन लगातार तत्काल पूर्ववर्ती 03 (तीन) वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 और 2015-16) के लिए वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल न करने के लिए 3,09,619 निदेशकों को अयोग्य घोषित किया गया। उपर्युक्त अयोग्य निदेशकों में से 2,10,116 अयोग्य निदेशक, नाम काटी गई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे।

(ग): सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) की प्रयोज्यता से छूट प्राप्त है। तदनुसार, सरकारी कंपनियों के बोर्ड के किसी निदेशक को उन कंपनियों के संबंध में वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल करने में हुई चूक के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया। सरकारी नौकरशाह और राजनीतिज्ञ, जो कंपनियों के बोर्ड में निदेशक हैं, के संबंध में कोई अलग आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

*****